



पत्र क्रमांक/एम.एड/विभागीय/प्रवेश शुल्क/2013-14/ 2573 रायपुर दिनांक 04.07.13

स्पष्टीकरण

राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क में संशोधन शासन द्वारा संशोधित आदेश क्रमांक F 5-5/2005/20-तीन दिनांक 26.03.2013 को जारी किया गया था। उक्त आदेश में एम.एड. के मदवार शुल्क को जोड़ने पर 11,000/- आता है जो कि त्रुटिवश 10,000/- अंकित हो गया है।

अतः परिषद् द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि उक्त आदेश में अंकित राशि 10,000/- के स्थान पर 11,000/- पढ़ा जाये।

  
(अनिल राय)  
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृष्ठां. क्रमांक/एम.एड/विभागीय/प्रवेश शुल्क/2013-14/ 2574 रायपुर दिनांक 04.07.13  
प्रतिलिपि -

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनबाड़ा छ.ग. रायपुर।
3. आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक विकास विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर।
4. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर